मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१६ से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(६) उपकर के आगम, ग्रामीण विकास विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की अधोसंरचना के अनुरक्षण के लिए उपयोजित किए जाएंगे.".

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (४) में, अंक "२.५" के स्थान पर अंक "१०" स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की अनुसूची में विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की रकम का २.५ प्रतिशत उपकर उद्ग्रहीत किया जाता है. उपकर की दर को बढ़ाकर १० प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि इस रकम का उपयोग ग्रामीण विकास विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की अधोसंरचना के अनुरक्षण के लिए किया जा सके.

२. उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मूल अधिनियम की धारा ९ और अनुसूची को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १७ मार्च, २०१६

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) से उद्धरण

* * * * *

धारा ६ (१), (२), (३) * * * *

(४) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी किसी दस्तावेज को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्ग्रहीत उपकर पूर्णत: न चुका दिया गया हो.

(५) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की धारा ४८ के उपबंध इस भाग के अधीन उपकर की वसूली पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे इस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्तियों की वसूली पर लागू होते हैं.

(६) उपकर के आगम ग्रामीण विकास विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपयोजित किये जायेंगे.

* * * * *

''अनुसूची

लिखतों पर उपकर

[धारा ९ (१) देखिये]

अनुक्रमांक (१)	लिखतों का विवरण (२)	सम्पत्ति का विवरण (३)	उपकर (४)
१	विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस या अधिक वर्ष की कालावधि के लिए पट्टा	स्थावर सम्पत्ति के अंतरण पर	स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की अनुसूची १-क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, २.५ प्रतिशत की दर से.''.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.